प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला : **A.C.B O.P. Siu Jaipur** थानाः **C.P.S,A.C.B. Jaipur** ....वर्ष 2022
प्र0इ0रि0 सं. .....20/2022.....दिनांक.....25/11/22

2. **(I)** अधिनियम धाराये. 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120 भादंसं.

(II) *अधिनियम .... धारायें .....

(III) *अधिनियम ..... धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....597..... समय .....5-45 P.M.

(ब) अपराध घटने का दिनांक 24.1.2022 से लगातार

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 18.01.2022

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित

5. घटनास्थल :– पंचायत समिति परिसर, कार्यालय समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिड़ावा

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– उत्तर में करीब 210 कि0मी0

(ब) *पता : .....बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम – श्रीमती सोनू कुमारी
(ब) पिता/पति का नाम –श्री रितेश जांगिड़
(स) जन्म तिथि/वर्ष .....23 साल.....
(द) राष्ट्रीयता .भारतीय.....
(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .
जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय .– पढ़ाई
(ल) पता – निवासी चिड़ावा जिला झुन्झुनु हाल सोडाला रामनगर गणेशपथ, जयपुर

ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–

1. श्री प्रियतम डांगी उर्फ प्रीतम पुत्र श्री धर्मवीर जाति जाट उम्र 35 साल निवासी ओजटू तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनु हाल पदस्थापन सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिड़ावा, जिला झुन्झुनु

2. श्री राजीव कुल्हार पुत्र श्री विजय सिंह कुल्हार जाति जाट उम्र 42 साल निवासी देवरोड़ तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनु हाल किसान कॉलोनी, वार्ड न0 10, नई तहसील के पास झुन्झुनु हाल कनिष्ठ सहायक, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जिला झुन्झुनु

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–..कोई नहीं.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)... रिश्वती राशि 40,000/– रूपये

10. * चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य ..रिश्वती राशि 40,000/– रूपये

11. * पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

दिनांक 18.01.2022 को परिवादीया श्रीमती सोनू कुमारी पत्नि श्री रितेश जांगिड़ उम्र 23 साल निवासी चिड़ावा जिला झुन्झुनु हाल सोडाला रामनगर गणेशपथ, जयपुर ने मय अपने पति श्री रितेश जांगिड़ के कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रनिब्यूरो, जयपुर उपस्थित होकर स्वयं द्वारा हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मैं सोनू पुत्री श्रवण कुमार मेघवाल निवासी चिड़ावा झुन्झुनु की रहने वाली हू, मैंने 12/03/2021 को श्री रितेश जांगिड़ पुत्र हनुमान प्रसाद जांगिड़ निवासी खाती महलों का बास, माला तहसील किशनगझ से हिन्दू रिती रिवाज से अर्न्तजातीय विवाह किया है। राज्य सरकार द्वारा इस तरह अर्न्तजातीय विवाह रकने पर डॉ0 सविता बेन अम्बेडकर अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन सहायता योजना के लिए मरे द्वारा आवेदन किया गया था मैंने पहले ऑफलाईन फार्म भरा था तब विभाग से फोन आने पर मैंने ऑनलाईन फॉर्म भी भरा था उसके पश्चात् प्रीतम नाम का एक कर्मचारी चिड़ावा समाज कल्याण विभाग में कार्यरत है मेरे घर पर जांच करने के नाम पर गया अतः मेरे घर से मेरे मोबाइल न0 लेकर मुझसे बात करी, उस समय मैं जयपुर थी उसके बाद प्रीतम के मोबाइल न0 9636028346 से मेरे मोबाइल न0 6378506562 पर फोन आया तथा कहा की जांच के लिए आपके परिवार से किसी को भेजों हमारे ऑफिस में भेजों क्योंकि फोन पर सारी बात नहीं हो सकती, इस पर मैंने मेरी बड़ी बहन ममता जो चिड़ावा में रहती है, उसे 15/01/22 को प्रीतम से बात करने के लिए कहा। उसके बाद मेरी दिदी ने प्रीतम से बात करी तो प्रीतम खुद मेरी दिदी से मिला तथा मेरी दिदी को बताया की मैंने जो अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 5 लाख रूपये की सहायता के लिए फॉर्म भरा है वो दिलाने के लिए पहले मुझे 40 हजार रूपये रिश्वत प्रीतम को देने पड़ेगे नही तो मेरा काम नहीं होगा ये सारी बात मुझे मेरी बहन ममता ने बताई। मैं प्रीतम को मेरे वैध काम के लिए कोई रिश्वत नहीं देना चाहती तथा उसे रंगे–हाथों पकड़वाना चाहती हूं। मेरी प्रीतम से कोई निजी दुश्मनी या रजिंश नहीं है। कृप्या कानूनी कार्यवाही करें। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रनिब्यूरो, जयपुर द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में मुझ पुलिस उप अधीक्षक को बुलाया व अपने कार्यालय में बैठे हुए श्रीमती सोनू कुमारी पत्नि रितेश जांगिड़ व रितेश जांगिड़ पुत्र हनुमान प्रसाद जांगिड़ से परिचय करवाया व उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मुझ पु0उ0अधीक्षक के नाम पृष्ठांकन कर अग्रीम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। जिस पर उपरोक्त दोनों परिवादीयों को अपने कार्यालय कक्ष में साथ लेकर आया व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बारे में पूछा तो श्रीमति सोनू ने स्वयं के द्वारा लिखा हुआ बताया व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्ठी की। साथ ही सोनू द्वारा स्वयं के द्वारा किये गये आवेदन पत्र की फोटो प्रति, स्वयं के विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति पेश की व ऑनलाईन भरे गये फार्म की फोटोप्रति भी पेश की। चूंकी प्रकरण में सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है अतः कानि0 रमजान न0 466 को तलब कर कार्यालय कक्ष में बुलाया गया व आपस में परिचय करवाया जाकर पूर्ण प्रकरण समझाया गया। उपस्थित परिवादियों को विभागीय वाईस रिर्कोडर के बारे में समझाया गया, चलाने बन्द करने की प्रक्रिया समझाई गई। तथा कानि0 रमजान 466 के साथ जाकर गोपनीयता रखते हुये सत्यापन कराने हेतु कहा जाकर मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 20.01.2022 को श्री रमजान कानि0 मय परिवादीगण श्रीमती सोनू कुमारी व श्री रितेश जांगिड़ के उपस्थित कार्यालय आया। श्री रमजान कानि0 ने अपने पास से वाईस रिर्कोडर मन पुलिस उप अधीक्षक को दुरस्त हालत में प्रस्तुत कर बताया कि कार्यालय से रवाना होकर दिनांक 19.01.2022 को दिन में 1 बजे करीब पंचायत समिति चिड़ावा पहुंचे। जहां पर परिवादीगण को वाईस रिर्कोडर चालू करके दिया जाकर अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादीगण पर नजर हुये परिवादी श्रीमती सोनू कुमारी के मोबाईल फोन 6378506562 से संदिग्ध आरोपी श्री प्रीयतम उर्फ प्रीतम के मोबाईल न0 9636028346 पर समय 1.19 पीएम पर बात करवाई और पुछा कि सर कहा मिलोगे तो संदिग्ध आरोपी ने परिवादी को अपने कार्यालय में मिलने आने के लिये कहा। तत्पश्चात दोनों परिवादीगण संदिग्ध आरोपी से मिलने व बात करने के लिंये उसके कार्यालय पंचायत समिति मे गये और समय करीब 1.50 पीएम पर वापस बाहर आकर वाईस रिर्कोडर मुझे लाकर पेश किया जिसको मैंने बंद किया। उसके बाद श्री रमजान कानि0 मय परिवादीगण श्रीमती सोनू कुमारी व श्री रितेश जांगिड़ रवाना होकर एसीबी कार्यालय आये। श्रीमती सोनू कुमारी ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को पूछने पर बताया कि पंचायत समिति के बाहर ही श्री रमज़ान कानि0 ने मुझे रिर्कोडर चालू करके दे दिया था व वहीं से मैंने प्रीयतम से मेरे मोबाईल से बात करी तो श्री प्रियतम ने अपने कार्यालय पंचायत समिति में स्थित समाज कल्याण विभाग के कक्ष में बुलाया। मैं व मेरे पति श्री प्रीयतम के कार्यालय कक्ष में पहुंचे। वहां पहुंचकर मैंने मेरे काम के संबंध में बात की तो मेरे काम संबंधी दस्तावेज मांगे और मेरे काम की एवज में 40 हजार रूपये की लिये बोला, मैंने कम करने के लिये बोला तो उन्होंने कम करने की मना करके अन्य व्यक्ति से अपने मोबाईल के व्हाटसअप से कॉल पर मेरी बात कराई, जिनको श्री प्रियतम, कुल्हार नाम करके बोल रहे थे। अन्य व्यक्ति ने भी मेरे काम के मेरे काम के लिये 40 हजार के लिये ही कहा मेरे कम करने की कहने पर साफ साफ मना कर दिया। ये सारी वार्ता रिर्कोडर में रिकॉर्ड हो गई होगी। इस पर मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा वाईस रिर्कोडर को सरसरी तौर पर सुना गया तो संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादीया के काम की